तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। अतः आदेश की पालना में दिनांक 8/12/2025 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
08/12/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 9 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 की ओर से मिट्ठन लाल एडवोकेट का वकालतनामा शामिल पत्रावली है शेष की एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस प्रा. पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के हमफीता हो। 08/12/25 उप खण्ड अधिकारी [illegible] ([illegible])

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई जिला दौसा

मुकदमा नम्बर 147 / 2025
दर्ज दिनांक 05.08.2025
निर्णय दिनांक 09.12.2025

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र बिरदा
2. रामजीलाल पुत्र बिरदा
3. जगदीश पुत्र रामगोपाल
4. रघुवीर पुत्र रामगोपाल
5. रामहेत पुत्र रामगोपाल
6. लक्ष्मण पुत्र रामगोपाल
7. कौशल्या देवी पुत्री रामगोपाल
8. बच्ची पुत्री रामगोपाल
9. पार्वती पुत्री रामगोपाल
10. तीजो पुत्री रामगोपाल
11. विश्रामसिंह पुत्र रामसिंह
12. सियाराम पुत्र रामसिंह
13. कमलसिंह पुत्र रामसिंह
14. सुनिता पुत्री रामसिंह
15. ममता पुत्री रामसिंह

समस्त जाति गुर्जर
ग्राम – झांज्या का बास
तहसील – बांदीकुई (दौसा)

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द सहाय पुत्र पांच्या उर्फ पाचूराम
2. बाबूलाल पुत्र पांच्या उर्फ पाचूराम
3. रामफूल पुत्र पांच्या उर्फ पाचूराम
4. उगन्ती देवी पत्नी पूरणमल
5. दिनेश पुत्र पूरणमल
6. राजेश पुत्र पूरणमल
7. हुकमसिंह पुत्र पूरणमल
8. हनुमान पुत्र पूरणमल
9. राजस्थान सरकार जरीय तहसीलदार महोदय बांदीकुई जिला दौसा

समस्त जाति गुर्जर
नि० झांज्या का बास
तह० बांदीकुई
जिला – दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

वाद वादीगण प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जरिये वकील विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में पेश किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थीगण ने आज ही एक दावा श्रीमान् के समक्ष पेश कर दिया गया है, जिसमें

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के कामयाब होने की पूरी–पूरी आशा है कि दावा यकीनन प्रार्थीगण पक्ष डिक्री होगा। ग्राम झाँझाकाबास तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 4, पुराना 11 के खसरा नम्बर 275, 276, 279, 371/268, 374/278, 376/287 रकबा 0.22 हैं, खसरा नं. 381/289 है., कुल किता 7 कुल रकबा 1.18 है. हैं। जिसका वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम का इन्द्राज हो रहा है। ग्राम झाँझाकाबास तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 10, पुराना 24 के खसरा नम्बर 274, 277 , 291, 370/268, 372/278, 375/287, 377/289 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.18 हैं. है। जिसमें वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 व 7 लगायत 10 की माता नारायणी का इन्द्राज हो रहा है। ग्राम झाँझाकाबास तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 14, पुराना 29 के खसरा नम्बर 269, 270, 285 ,286, 290, 378/289 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.18 हैं. हैं। जिसमें वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 11 लगायत 15 के पिता रामसिंह पुत्र रामधन का इन्द्राज हो रहा है। ग्राम झाँझाकाबास तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 5, पुराना 13 के खसरा नम्बर 292, 293, 294, 383/380 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.1550 हैं. हैं। खसरा नं. 383/380 समर्पण से पुर्व खसरा नं. 380/289 रकबा 0.07 हैं. रहे है। जिसके वर्तमान नं. 383/380 रकबा 0.055 हैं. एवं खसरा नं. 382/380 रकबा 0.015 हैं. बने है। जिसमें वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का इन्द्राज हो रहा हैं। ग्राम झाँझाकाबास तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित खाता सं. नया 6. पुराना 22 के खसरा नम्बर 271, 272, 273, 284, 288, 373/278, 379/289 कुल किता 7 कुल रकबा 1.18 हैं. हैं। जिसमें वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 का इन्द्राज हो रहा है। प्रार्थना–पत्र के पेरा संख्या 2 लगायत 6 में वर्णीत भूमि के भू–प्रबन्धक की कार्यवाही से पूर्व साबिका नम्बर 50 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा रहे हैं, जिसके तत्कालीन खातेदार प्रार्थीगण संख्या 1, 2 व प्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 के पिता रामगोपाल पुत्र जैस्या एवं प्रार्थी गण संख्या 11 लगायत 15 के दादा रामधन पुत्र जैस्या एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांच्या पुत्र जैस्या एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 के दादा/ससुर मूल्या पुत्र जैस्या खातेदार कास्तकार रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता रामगोपाल पुत्र जैस्या एवं प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 15 के दादा रामधन पुत्र जैस्या ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बांदीकुई के समक्ष एक बार संख्या 61/89 उनवानी रामगोपाल बनाम मूल्या का तकास्मा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें पक्षकारान ने मुताबिक बाहामी बटवारा अनुसार तथा मुताबिक कब्जे अनुसार तकास्मा की डिक्री दिनांक 31.07.1990 को पारित कर दी जिसके अनुसार डिग्री के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार साबिका नम्बर 50 के 5 नम्बर इस प्रकार बनाए की 50/1 वादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में एवं 50/2 प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के पिता रामगोपाल के हिस्से में एवं 50/3 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांच्या के हिस्से में एवं 50/4 प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 15 के हिस्से में एवं 50/5 अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 के हिस्से में दर्शित कर उसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित कर दी तथा मुताबित अंतिम डिक्री दिनांक 31.07.1990 के अनुसार पक्षकारान आज दिन तक मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। नकल प्रमाणीत प्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.1990 पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांच्या द्वारा न्यायालय उपजिला कलैक्टर महोदय बांदीकुई के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए. राजस्थान टी. एक्ट 1955 का प्रकरण संख्या 23/2012 उनवानी पांच्या बनाम रामसिंह प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 289 में आने–जाने हेतु रास्ता बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner

किया था तथा अपने प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त भूमि जो वाद पत्र के पैरा संख्या एक लगायत 6 में वर्णित है। उक्त भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सम्मिलित होना दर्शित किया था। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान ने दिनांक 31.07.1990 को भूमि का तकास्मा कर मुताबिक तकास्मा काबिज कास्त जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बांदीकुई द्वारा तहसीलदार को मौके की स्थिति हेतु मौका रिकार्ड बाबत तहरीर जारी की जिस पर दिनांक 19.12.2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांच्या उर्फ पांचूराम द्वारा खसरा नम्बर 289 में होकर रास्ता चाहा था वहां पर मौके पर पुख्ता मकान, पाटोल व रसोई घर बना हुआ होना दर्शित किया है, तथा मौके पर चार फिट की गली मकान व पाटोल रसोई के मध्य होना दर्शित किया है। तथा तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी महोदय बांदीकुई द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांच्या उर्फ पांचूराम का प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.02.2013 को खारिज फरमा दिया जिसकी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता एवं अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई अपील, रिट, रिवीजन प्रस्तुत नहीं की जिससे अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 28.02.2013 अंतिम हो गया, जिससे अप्रार्थीगण पाबन्द है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 15 के पिता/दादा ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति होने से तथा कानूनी जानकारी नहीं होने से सहायक कलैक्टर महोदय बांदीकुई के दिनांक 31.07.1990 के निर्णय/डिक्री को जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं करवा सके किन्तु आज तक मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.1990 के अनुसार अप्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं तथा प्रार्थीगण सख्या 3 लगायत 10 में अपने हिस्से में खसरा नं. 289 में पुख्ता मकान बनाकर रिहायस करते आ रहे है। जिसका नक्शे में भी खसरा नं. 289 आबादी भूमि दर्शित है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 नजरी नक्शा में दर्शित ए बी ए डी ई एफ भाग पर काबिज कास्त हैं एवं डी एफ जी ई भाग पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 काबिज कास्त हैं एवं एफ जी एच आई भाग पर प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 15 काबिज कास्त है एवं आई जे के एल भाग पर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 काबिज कास्त है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक गुर्जर 31.07.1990 के अनुसार आज दिन तक काबिज कास्त तथा अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर रिहायस कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 में बिना अधिकार व खसरा नं. 289 जो आबादी की भूमि हैं जिस पर प्रार्थीगण की रिहायस बनी हुई हैं तथा किसी प्रकार का मौके पर कोई रास्ता नहीं है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता पांच्या द्वारा खसरा नं. 289 में होकर रास्ते बाबत वाद प्रस्तुत किया था जो वाद 2013 में खारिज हो चुका है। उसके बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 में राजस्व कर्मचारीयों से साज कर कत्तई गलत आधारों पर नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 5.10.2001 दर्शित कर तकास्मा की तथाकथित डिक्री दिनांक 05.08.2000 दर्शित कर उसके आधार पर कत्तई गलत नामान्तकरण का इन्द्राज कर अलग–अलग खाते दर्शित करवा दिये जबकि पक्षकारान के मध्य दिनांक 05.08.2000 को किसी प्रकार की काई तकास्मा बाबत कोई डिक्री परित नहीं हुई अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 में अवैध तकास्मा दिनांक 5.08.2000 की आढ़ में जमाबन्दी में खसरा नं. 289 जो प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के कब्जे स्वामीत्व की भूमि रही है। जिसमें अपने नाम खसरा नम्बर 289 में से रकबा 0.07 हैं. अपने नाम दर्शित करवा कर खसरा नं. 380/289 कत्तई गलत दर्शित करवाकर उक्त अवैध इन्द्राज की आढ़ में बिना अधिकार तथा ये जानते हुए की खसरा नं. 289 पर मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा भूमि पर पुख्ता मकानात, पाटोल, रसोई आदि बनी हुई है। कत्तई

Scanned with OKEN Scanner

गलत रूप से दिनांक 19.11.2024 को 500 रूपये के स्टाम्प पेपेर पर खसरा नं. 380/289 में से 0.0150 वर्ग मीटर भूमि को रास्ते हेतु तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष सर्मपण कर दिया जिसको तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट में भी मौके पर पाटोल व दिवार होना दर्शित किया है। उक्त रिपोर्ट के पश्चात तथा भूमि खाली नहीं होते हुए अवैध इन्द्राज की आढ़ में खसरा 380/289 में से 150 वर्ग मीटर भूमि का कत्तई गलत जो समर्पण आदेश अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष किया है। व समर्पण आदेश प्रार्थीगण के अधिकारों तक शुरू से ही शुन्य, अवैध हाने से निरस्तनीय है। तथा उक्त अवैध समर्पण के आधार पर जो नामांकरण गैर मु. रास्ता बाबात खोला हैं वह भी शुरू से ही शुन्य व निरस्तनीय है। जिस पर निरस्ती का नोट अंकित किया जाना आवश्यक है। उक्त अवैध समर्पण आदेश के आधार पर प्रार्थीगण के रिहायसी मकानात आदि की भूमि में होकर अवैध रूप से रास्ते का इन्द्राज कर दिया तथा उक्त गलत इन्द्राज की आढ़ में उप तहसीलदार आभानेरी द्वारा हलका पटवारी की कत्तई गलत रिपोर्ट के आधार पर यह जानते हुए की प्रार्थीगण ने प्रकरण संख्या 81/89 में पारित डिक्री के अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि 1994 में निर्माण कर काबिज हैं तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण नहीं है। किन्तु हलका पटवारी ने अप्रार्थीगण से मिलकर कत्तई गलत आधारों पर दिनांक 10.07.2025 को प्रार्थीगण के विरूध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर प्रार्थीगण के रिहायसी मकान, पाटोल को तोड़ने हेतु कत्तई गलत नोटीस जारी किया जिसकी नकल प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के आदेश के विरूध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर महोदय दौसा के समक्ष अपिल प्रस्तुत की एवं दस्तावेजात की नकल आदेश दिनांक 05.08.2000 की जानकारी होने पर तहसीलदार निकलवाने पर उक्त अवैध समर्पण आदेश एवं तथाकतित तकास्मा बांदीकुई एवं उपतहसीलदार आभानेरी के समक्ष तथाकथित बटवारा आदेश दिनांक 05.08.2000 की नकल चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार बांदीकुई एवं उपतहसील आभानेरी ने तथाकथित ओदश तकास्मा दिनांक 05.08.2000 कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना दर्शित कर नकल आवेदन खारिज कर दिया जिससे प्रमाणित है कि तथाकथित तकास्मा दिनांक 05.08.2000 कत्तई फर्जी तथा उक्त दिनांक को पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई तकास्मा नहीं हुआ यहा यह कथन करना भी आवश्यक है कि यदि दिनांक 05.08.2000 को पक्षकारों के मध्य तकास्मा हो जाता तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा 2012 में न्यायालय के समक्ष रास्ते बाबत वाद पेश नहीं करता तथा बाद में भूमि सामलाती दर्शित नहीं करता इस प्रकार तथा जब पक्षकारों के मध्य दिनांक 31.07.1990 को ही विधिक बटवारा हो चुका है, तथा उसी अनुसार पक्षकार काबिज हैं। तो 05.08.2000 को बटवारा वाला कथन कत्तई गलत व मिथ्या है। तथा उक्त तथाकथित बटवारा नामा दिनांक 05.08.2000 के आधार पर खोला गया नामान्तकरण कौशल्य संख्या 20 दिनांक 15.10.2001 शुरू से ही अवैध व शुन्य होने से निरस्तनिय तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर वाद पत्र के पैरा संख्या 1 लगायत 5 में किये गये जमाबन्दी का इन्द्राज निरस्तनिय लक्ष्मण जिन्हे निरस्त किया जाकर मुताबिक बटवारा नामा दिनांक 31.07.1990 के अनुसार प्रार्थीगण का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी उसी अनुसार खातेदार कास्तकार का इन्द्राज किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को नजरी नक्शा में दर्शित बैरंग सुर्ख ए बी सी डी एवं वादी संख्या 3 लगायत 10 को ए डी ई एफ एवं वादी संख्या 11 लगायत 15 को एफ जी एच आई अनुसार जमाबन्दी में एवं नक्शा

Scanned with OKEN Scanner

सीट में इन्द्राज किया जावे तथा उसी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को इ डी एफ जी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 को आई जे के एल अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जा कर प्रार्थीगण को उसी अनुसार खातेदार कास्तकार घोषीत किया जा कर खसरा नं. 289 में से अप्रार्थीगण के नाम किय गये इन्द्राज को हजफ कर प्रार्थीगण को खातेदार कास्तकार घोषीत किया जावे। प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 2 लगायत 6 में वर्णित भूमि का न्यायालय सहायक कलैक्टर महोदय बांदीकुई द्वारा प्रकरण संख्या 61/89 में दिनांक 31.07.1990 को तकास्मा की डिक्री पारित कर दी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आज दिन तक दिनांक 31.07.1990 की डिक्री में वर्णित भूमि के अनुसार काबिज कास्त हैं तथा उस के अनुसार भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराने का अधिकारी है। चुकि डिक्री दिनांक 31.07.1990 की पालना नहीं होने से जमाबन्दी में सही इन्द्राज नहीं हो सका प्रार्थीगण मुताबिक डिक्री दिनांक 31.07.1990 के अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराने के अधिकारी है। दिनांक 10.07.2025 को उपतहसीलदार आभानेरी द्वारा प्रार्थी रघुवीर व रामजीलाल के विरूध 91 एल आर एक्ट का आदेश पारित करने से तथा दिनांक 23.07.2025 को प्रार्थीगण के मकानात तोडने बाबत उपतहसीलदार आभानेरी द्वारा नोटीस जारी करने से एवंअप्रार्थीगण द्वारा उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण की भूमि पर दिनांक 01.07.2025 को कब्जा करने की धमकी देने एवं कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने की एलानिया धमकी दने से रहेगा। दस्तावेजात की दिनांक 25.07.2025 को नकल प्राप्त कर अप्रार्थीगण से अपने नाम भूमि का मुताबिक डिक्री दिनांक 31.07.1990 के अनुसार इन्द्राज करने की कहने पर अप्रार्थीगण इंकार हो गये तथा भूमि को दीगर लोगो को बेचान करने की धमकी देने लगा इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण अपने बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो कौराहा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा पक्षकारान के मध्य कई प्रकार के मुकदमें बाजी होकर प्रार्थीगण बर्बाद हो जावेगें इसलिये अप्रार्थीगण को इस आशय से प्रतिबन्धित किया जावें कि वह स्वयं उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट मददगारान वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे तथा उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने, फसल बोने व काटने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है। प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबिले अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण करवायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से केवियट की गयी थी। अप्रार्थी 1 लगायत 3 के अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश नहीं कर बहस की गयी। बहस के दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका तकास्मा हो चुका है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित तीन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। 1. प्रथम दृष्टया मामला , 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत

1. प्रथम दृष्टया मामला वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी समर्पण आदेश व समर्पण आदेश के आधार पर किये गये नामांतरण को निरस्त करवाकर बटवारा दिनांक 05.08.2000 को निरस्त करवाकर खातेदारी उद्घोषणा चाहता है। जिसका निस्तारण दावा पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाना है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण खातेदार

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार है। किसी खातेदार को उसकी खातेदारी आराजी में पाबंद नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बन सकता है।

2. सुविधा का संतुलन और 3. अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत , उक्त दोनों बिंदुओं का निर्धारण सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है। बिन्दु सं. 1 के विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसलिए उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

09/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner